महत्वपूर्ण / तत्काल

कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी / निबन्धक,
सहकारी गन्ना / चीनी मिल समितियां, उत्तर प्रदेश।
17–न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ
Email-samiticamp@gmai.com

पत्रांक : 887/~~182~~ / सी / समिति / लखनऊ: दिनांक 14 ~~13~~ दिसम्बर,2017

1. **समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिला गन्ना अधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त सचिव / विशेष सचिव,**
   सहकारी गन्ना विकास समितियां।
4. **समस्त प्रधान प्रबन्धक / सचिव,**
   किसान सहकारी चीनी मिल्स समितियां।

विषयः–प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों की सामान्य निकाय की बैठक के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

आप अवगत हीं है कि प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों में प्रत्येक वर्ष सामान्य निकाय की बैठक आयोजित की जानी आवश्यक है। इन बैठकों में सहकारी गन्ना विकास समितियाँ अपने मुख्य उद्देश्यों, उन्नत कृषि व्यवस्था / तकनीक एवं विभागीय / राज्य सरकार की योजनाओं के साथ–साथ समिति की विगत वर्ष में हुई उपलब्धियों के सम्बन्ध में गन्ना समिति प्रतिनिधियों एवं संचालक सदस्यों को अवगत कराती हैं। उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965, की धारा–28 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सामान्य निकाय समिति की सर्वोच्च निकाय है। सहकारिता के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समितियों की सामान्य निकाय की बैठक आहूत की जाती है किन्तु विगत कई वर्षो से समितियों में या तो नियमित रूप से बैठके आहूत नहीं हो रहीं हैं या आहूत होने वाली सामान्य निकाय की बैठकें औपचारिकता मात्र रह गई हैं, जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न गन्ना उत्पादक जनपदों से गन्ना समितियों के बजटीय धन के दुरूपयोग, उपहार वितरण में भेदभाव एवं सहकारिता की मूल भावना के विरूद्ध कार्य किए जाने की शिकायतें भी प्राप्त हो रहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार सामान्य निकाय के सम्बन्ध में प्राप्त हो रहीं शिकायतों, सहकारिता के मूल उद्देश्यों की पूर्ति तथा शासन की पारदर्शी, उत्तरदायी एवं

मितव्ययी बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत गन्ना समितियों में आहूत की जाने वाली सामान्य निकाय की बैठकों में निम्नानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:–

1. उपहार वितरण की परम्परा से जहाँ एक ओर समिति के ए.जी.एम. बजट का बड़ा भाग उपहार वितरण में व्यय होता है वहीं दूसरी ओर सदस्यों के मध्य उपहार वितरण में हो रहे भेद–भाव से शिकायतों को बल मिलता है। समितियों द्वारा सामान्य निकाय की बैठकों में उपहार वितरण से न केवल समिति धन का दुरूपयोग होता है बल्कि भेदभावपूर्ण उपहार वितरण से प्रतिनिधियों के मध्य आपसी सामंजस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सामान्य निकाय की गरिमा भी प्रभावित होती है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत समितियों की सामान्य निकाय की बैठकों में उपहार वितरण के प्रचलन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है।

2. अतः सामान्य निकाय की बैठकों में उपहार वितरण न करके, केवल प्रतिभाग करने वाले सदस्यों को विभागीय योजनाओं आदि के पम्पलैट, योजनाओं को नोट करने हेतु नोट पेड, पेन, जलपान, भोजन एवं बैठने की ससम्मान व्यवस्था की जाए। प्राथमिकता पर ऐसा आयोजन समिति अपने प्रांगण के हॉल अथ्वा निःशुल्क/कम शुल्क पर उपलब्ध हॉल में ही करें, जिससे कम से कम व्यय पर आयोजन सम्पन्न हो सके।

3. सामान्य निकाय की बैठकों में सहकारी समितियों के सम्बन्ध में जारी किए गए महत्वपूर्ण शासनादेशों, परिपत्रों, एण्टी भू–माफिया पोर्टल, आई.जी.आर.एस. पोर्टल, समिति की अनुदान सम्बन्धी योजनाओं, सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के सम्बन्ध में अनिवार्यतः अवगत कराया जाए।

4. समिति अपने विगत वर्ष में बजट से कराये गए कार्यो, उपलब्धियों, समिति क्षेत्र में किए गए गन्ना विकास व शिक्षा/स्वास्थ्य/सड़क आदि सामाजिक विकास के कार्यों के सम्बन्ध में सामान्य निकाय को अवगत करायेगी तथा इन कार्यों का सत्यापन सामान्य निकाय से करायेगी कि सम्बन्धित कार्य सामान्य निकाय की प्रतिनिधियों के क्षेत्र में गुणवत्तापरक/मानक अनुरूप सम्पन्न कराये गये हैं अथ्वा नहीं?

5. सामान्य निकाय की बैठक में समिति आगामी वर्ष के बजट, सम्परीक्षित संतुलन पत्र, आयकर विभाग से समिति टी.डी.एस. की वापसी, विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं उनके निस्तारण की स्थिति के साथ–साथ समिति कार्य–कलापों की रूपरेखा एवं भविष्य की योजनाओं के सम्बन्ध में कृषक सदस्यों/प्रतिनिधियों को भी अवगत करायेगी तथा इन योजनाओं के सम्बन्ध में उनकी राय/परामर्श के अनुसार यथावांछित संशोधन के साथ वार्षिक बजट स्वीकृत किया जायेगा।

6. गन्ना कृषक सदस्यों की आय को दोगुना किए जाने हेतु गन्ना उत्पादकता बढ़ाने एवं गन्ना उत्पादन लागत कम किए जाने हेतु तैयार की गई विभागीय योजनाओं तथा गन्ना समिति द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेशों से भी गन्ना

किसानों को अवगत कराया जाए तथा उत्पादन लागत कम करने हेतु समितियों में स्थापित हो रहे फार्म मशीनरी बैंक के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया जाए।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का मंशानुरूप अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही/शिथिलता पायी जाती है, तो सम्बन्धित सचिव एवं समिति की प्रबन्ध कमेटी से उपहार वितरण में किए गए व्यय की वसूली के साथ–साथ उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक,
सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियाँ,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 807/82/सी/समिति/ लखनऊः दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियों की शीर्ष संस्थाओं में आयोजित होने वाली सामान्य निकाय की बैठकों में भी उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें:–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक,
सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियाँ,
उत्तर प्रदेश।